

पत्र संख्या-11/आ० नी०-1-11/2015 सा०प्र०.....12585

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव।
सभी प्रधान सचिव।
सभी सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना।

पटना-15, दिनांक-.....09.07.2025

विषय :- बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में शत-प्रतिशत राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में।

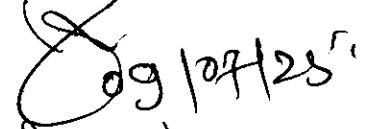
महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं के सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-963 दिनांक-20.01.2016 तथा परिपत्र संख्या-2342 दिनांक-15.02.2016 द्वारा बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि की महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

इस क्रम में राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-12575 दिनांक-09.07.2025 द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने का प्रावधान निर्गत किया गया है।

तदनुसार विभागीय संकल्प संख्या-12575 दिनांक-09.07.2025 निर्गत की तिथि से ही प्रभावी है। अतएव राज्याधीन सेवाओं की वैसी सभी नियुक्तियों में यथा- जिसके विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है/जिसके विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हों/जिसके परीक्षाफल प्रकाशित किये जाने शेष है- ऐसे सभी मामलों में यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

विश्वासभाजन,



(रजनीश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।